योजना का नाम – **निशुल्क गणवेश**

योजना का संक्षिप्त विवरण :–

शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् समस्त बालिकाओं, मदरसा बोर्ड एवं संस्कृत बोर्ड से पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शालाओं में दर्ज बालिकाओं के लिये राशि रू 200 बालिका के मान से दो जोड़ गणवेश हेतु उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि से बालिकाओं को 2 जोड़ गणवेश पालक शिक्षक संघ द्वारा प्रदान की जायेगी। 15 अगस्त तक गणवेश वितरित की जायेगी।

योजना के तहत लाभ स्वीकृत करने वाले/सहायता पहुॅचाने वाले सक्षम अधिकारी/संपर्क अधिकारी का नाम :–

संबंधित शाला जिसमें बालिका अध्ययनरत् है का पालक शिक्षक संघ।

योजना का लाभ उठाने के लिये पात्रता की शर्ते :–

1. बालिकाओं को शासकीय प्राथमिक / माध्यामिक शाला में दर्ज होना चाहिए।
2. म0प्र0 मदरसा बोर्ड एवं म0प्र0 संस्कृत बोर्ड मे पंजीकृत मदरसों अथवा संस्कृत शालाओ मे दर्ज होना चाहिए।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया :–

वर्ष 2008–09 मे प्रति बालिका 200 रूपये की दर से दो जोडी गणवेश हेतु राशि जिला शिक्षा केन्द्र से सीधे पालक शिक्षक संध के खाते मे प्रेषित की जाती है। इस राशि से पालक शिक्षक संघ निर्धारित प्रक्रिया अनुसार गणवेश का क्रय कर शाला में दर्ज बालिकाओ को वितरित करेगा।

15 अगस्त के बाद यदि किसी बालिका को गणवेश नहीं मिलती है तो वह शाला के प्रभारी शिक्षक से संपर्क कर सकती है। गणवेश प्राप्त न होने पर जिला परियोजना समन्वयक को शिकायत की जा सकती है।